तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अश्विनी अरोड़ा बनाम लो.सू.अ. (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 64 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24 06..20	दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित रहा। संक्षिप्त में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी अश्विनी अरोड़ा मार्फत श्री सुमेरसिंह बारा, प्लॉट सं0 143, कॉलानी बीजेएस, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.03..19 में उसके द्वारा (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गरीब, निर्धन व वृद्धजनों के लिए आवंटित राशन सामग्री के आवंटन व वितरण में दोषपूर्ण नीति अपनाकर मिलीभगत के कालाबाजारी की गई है, जिनकी रिकवरी राशि के रूप में वसूल करने विषय के संबंध में ही दिनांक 13.08.2018 को प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जो आपके की आवक–जावक शाखा में कमांक 9767 दर्ज है, इस प्रार्थना पत्र मय प्रस्तुत दस्तावेजों की चार चार प्रतिलिपियां के हस्ताक्षरयुक्त देने व अन्य 13 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 373 दिनांक 01.04.2019 के जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को स्थानान्तरित करते हुए प्रेषित किया गया तथा जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 137–138 दिनांक 10.06.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार सूचना के बिन्दु संख्या 9 व 13 की सूचना प्रार्थी को दी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 14 से संबंधित सूचना का सम्पूर्ण रिकॉर्ड भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कार्यवाही वजह सबूत जमा किया होना बताया गया। अपीलार्थी को 19 पृष्ठीय सूचना दी गई। सूचना के बिन्दु संख्या 2 से 8, 11 व 12 की सूचना कार्यालय से संबंधित नहीं होना बताया गया। बिन्दु संख्या 2 से 8, 11 व 12 से संबंधित सूचना बाबत् लोक सूचना अधिकारी(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से भी तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई, परन्तु आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 15.06.20 को उपस्थित होकर जबाब के रूप में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें बतलाया कि बिन्दु सख्या 1 बाबत् जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर ने जबाब पेश नहीं किया गया जिसमें प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज की 4–4 सत्यापित प्रतिलिपियां मांगी गई लगातार...	

जो श्रीमान् के कार्यालय की आवक जावक शाखा में क्रमांक 9767 दिनांक 13.08.18 दर्ज रजिस्टर है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 1 से 14 तक की सूचना दिलाने की प्रार्थना की। चूंकि बिन्दु संख्या 9, 13 से संबंधित सूचना की चार प्रतियां में चाही गई परन्तु जिला रसद अधिकारी ने एक–एक प्रति दी गई, इसी प्रकार बिन्दु सं0 10 की सूचना भी जिला रसद अधिकारी प्रथम कार्यालय से संबंधित होने पर भी सूचना नही दी गई जो अपीलार्थी को तुरन्त दी जाय। शेष बिन्दु संख्या 1 से 8, 11 से 12 से संबंधित सूचना जिला कलक्टर कार्यालय से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।